भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3343
28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

बढ़ते आयात के बीच इस्पात क्षमता उपयोग में कमी

3343 डा. सैयद नसीर हुसैन:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सस्ते आयात में वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2025 में घरेलू इस्पात क्षमता उपयोग में 78 प्रतिशत तक की गिरावट आने का अनुमान है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे कम है;

(ख) घरेलू इस्पात उत्पादकों के बीच क्षमता उपयोग दरों को बढ़ाने के लिए मंत्रालय क्या रणनीतियां लागू कर रहा है;

(ग) मंत्रालय किस तरह से छोटी इस्पात मिलों को समर्थन देने की योजना बना रहा है जो सस्ते आयातों से असमान रूप से प्रभावित हैं; और

(घ) क्या स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में घरेलू इस्पात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की गई है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इसके आयात तथा निर्यात बाजार में मांग एवं आपूर्ति की गतिशीलता द्वारा निर्धारित होते है। अप्रैल-फरवरी 2024-25 की अवधि के लिए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, क्षमता उपयोग घटक 76 प्रतिशत है (स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति)। सरकार विकास के लिए छोटी इस्पात मिलों सहित घरेलू इस्पात उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने हेतु अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करके एक सुविधाप्रदात्ता के रूप में कार्य करती है। इस संबंध में की गई कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:-

i. आयातित इस्पात उत्पाद जो घरेलू इस्पात उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करते है, पर पाटन रोधी शुल्क (एडीडी) और प्रतिकारी शुल्क (सीवीड़ी) लगाना।
ii. लौह मिश्रधातु, लौह स्क्रैप जैसे कच्चे माल जो देश में पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं, पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) का आवधिक अंशांकन।
iii. आयात की प्रभावी निगरानी और घरेलू इस्पात उत्पादकों को आयात पर विस्तृत आंकडे उपलब्ध कराने के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) 2.0 को नया रूप दिया गया।
iv. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने हेतु घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।
v. देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा आयात को कम करने के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को शुरू करना।
vi. घरेलू स्तर पर उत्पन्न लौह स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

*****